संख्या– 1052/33–3–2018/68/2018

प्रेषक

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ

दिनांक– 11 अप्रैल, 2018

विषय–आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, पुस्तकालय/सेवा केन्द्र/ज्ञानकेन्द्र की अवस्थापना कार्य अभियान वर्ष 2018–19 के मार्ग निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–ओ–488/ सीएम–1/2018 दिनांक–28.03.2018 के द्वारा आपरेशन कायाकल्प हेतु निर्देश प्राप्त हुए है कि ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवन यथा प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, ए.एन.एम. सैण्टर, ग्राम सचिवालय/पंचायत घर आदि की स्थिति दयनीय रहती है तथा उनका निर्धारित लक्ष्य हेतु समुचित उपयोग नही हो पाता है, बहुधा धनाभाव के कारण उनका अनुरक्षण समुचित तरीके से नही हो पाता है, जबकि ग्राम निधि में बड़ी मात्र में धनराशि अनुरक्षण मद में उपलब्ध रहती है। ग्राम निधि में उपलब्ध इस मद की धनराशि से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सार्वजनिक भवनों का अनुरक्षण किया जा सकता है। भवनों को सुसज्जित कर उनका उपयोग सार्वजनिक पुस्तकालय/सेवा केन्द्र/ज्ञान केन्द्र/कौशल विकास केन्द्र आदि के रुप में किया जा सकता है। इसी भांति महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि को युगपित (कन्वर्जेन्स) कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरुप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार खड़ंजा/इण्टर–लॉकिंग/सी.सी.रोड निर्माण कार्य अभियान चलाकर किया जा सकता है।

उक्त के परिपालन में वर्ष 2018–19 में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कराये जाने वाले विकास हेतु निम्नांकित निर्देश जारी करने का मुझे निदेश हुआ है–

1–राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायतों में मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत अन्य अनुमन्य कार्यों के साथ–साथ ग्राम पंचायतों में स्थित सामुदायिक परिसंम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु शासनादेश में प्राविधान किया गया है। ग्राम पंचायत में स्थित **सार्वजनिक भवनों (पंचायत भवन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र) के अनुरक्षण से सम्बन्धित सिविल कार्य (टायल्स/मरम्मत/रंगाई–पुताई आदि)** शिक्षा,स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी मूल–भूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु ग्राम सभा बैठक कर ग्राम में पूर्व से निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्य कराये जाने हेतु निर्णय लेते हुए निम्न कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कर सकती हैं–

- पंचायत भवनों का पुनरुद्धार/सुदृढ़ीकरण कर उनका समुचित प्रयोग।
- पंचायत भवनों का लाइब्रेरी/सेवा केन्द्र के रुप में विकास।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं में सुधार।
- आंगनवाड़ी केन्द्र/ए.एन.एम. सैण्टर के भवनों का पुनरुद्धार/सुदृढ़ीकरण ।

- ग्राम पंचायत के आन्तरिक मार्गों जहां आबादी होने के उपरान्त भी पक्का मार्ग नहीं है उनका चिन्हांकन कर आवश्यकतानुसार खंड़जा/इण्टरलांकिंग/सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

2–ऑपरेशन कायाकल्प के कियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया–

1–ग्राम पंचायत अन्तर्गत स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों, ग्राम सचिवालय, ए.एन.एम सैण्टर, तथा आंगनवाड़ी केंन्द्रो में आवश्यक मरम्मत कार्य चिन्हित करते हुए तकनीकी आंगणन तैयार कराए जा सकते हैं तथा विभागीय निर्देशों के अनुरुप इन कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि की सीमा भी निर्धारित की जाएगी।

2–चिन्हित किये गये कार्यों को ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित करा कर उन पर ग्राम सभा की खुली बैठक में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

3–मानक के अनुरुप कार्य सम्पन्न कराने की संयुक्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की रहेगी।

4–यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी कार्य पर दोहरा व्यय न हो अर्थात यदि किसी आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय भवन अथवा ए.एन.एम सेन्टर की मरम्मत सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित हो, तो उसे ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3–पंचायत भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्वार कर उनमें लाइब्रेरी की स्थापना–

1–ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से निर्मित पंचायत भवन, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, की राज्य/चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि से

आवश्यक मरम्मत, रंगाई–पुताई कराकर तथा टाइल्स लगवा कर बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतें फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार करा सकेंगी जिनका उपयोग लाइब्रेरी के रूप में किया जा सके।पंचायत भवनों का विकास ग्राम सभा लोक शिक्षा केन्द्र एवं सेवा केन्द्र के रुप में किया जा सकता है।

3–लाइब्रेरी में ग्राम वासियों की रुचि के अनुरुप स्तरीय पुस्तकें, समाचार पत्र, साहित्य, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक पत्रिकाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बागवानी, पशुपालन, जल संरक्षण, पर्यावरण, आदि कार्यक्रमों का साहित्य, जो सम्बन्धित विभागों एवं सूचना निदेशालय से जनपद में प्राप्त होता है, यहां पर रखवाया जा सकता है।

4–इस प्रकार यह लाइब्रेरी शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना केन्द्र के रुप में भी ग्राम वासियों के लिए उपयोगी होगी।

4–स्थापना एवं फण्डिग–

1–पंचायत भवन/मिनी सचिवालय में उपलब्ध फर्नीचर का प्रयोग पुस्तकालय में किया जाएगा। यदि पंचायत भवन में पहले से फर्नीचर (कुर्सी, मेज, बेन्च आदि) उपलब्ध न हो, तो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव कराकर ग्राम निधि में उपलब्ध संसाधनों से नियमानुसार फर्नीचर क्रय किया जा सकता है, परन्तु रुपये 15,000 से अधिक का फर्नीचर क्रय नहीं किया जाए तथा इसका प्रस्ताव व व्यय की कार्यवाही प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अनुमोदित कराया जाएगा। इस फर्नीचर का उपयोग लाइर्बेरी के साथ–साथ ग्राम पंचायत की बैठकों में भी किया जाएगा।

3–इन पर आने वाले खर्च की व्यवस्था ग्राम निधि में उपलब्ध संसाधनों से ग्राम पंचायत में प्रस्ताव कराकर नियमानुसार किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 600 प्रति माह से अधिक न हो।

5–पुस्तकालयों का संचालन–

1–पुस्तकालय का संचालन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित **ग्राम पुस्तकालय समिति/ग्राम शिक्षा समिति** द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्य–सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा सदस्य शिक्षा समिति लेखपाल, प्रधान अध्यापक, शिक्षा मित्र, शिक्षा प्रेरक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी

कार्यकर्त्री, आशाबहू, सफाईकर्मी, ग्राम पंचायत के चौकीदार एवं नेहरु युवा केन्द्र के स्वयं सेवक सदस्य होंगें।

2–पुस्तकालय का उपयोग **"लोक शिक्षा केन्द्र"** के रुप में भी किया जाएगा और इसके संचालन के लिए ग्राम स्तर पर तैनाती शिक्षा प्रेरकों की सहायता ली जा सकती है।

3–सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकालय में साफ–सफाई का कार्य ग्राम पंचायत में तैनात सफाईकर्मी द्वारा नियमित रूप से की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकालय नियमित रूप से खुलें।

4– सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पुस्तकालय में कोई भी खरीद करने से पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार नियमानुसार ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कराया जायेगा।

6–उपयोगिता (सेवा केन्द्र एवं सूचना केन्द्र के रूप में)

1–ग्राम पंचायत स्तर स्थापित पुस्तकालय का प्रयोग "सेवा केन्द्र" के रूप में किया जा सकता है जिसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशुपालन आदि विभिन्न योजनाओं के विषय में शासनादेश/ प्रचार सामग्री/मैगजीन आदि रखी जाएं उसमें ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्रीय कर्मचारियों कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाए।

2–यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि ग्राम स्तरीय सभी कर्मचारी तथा लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ए.एन.एम, आशा, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक, कृषि विभाग में तैनात तकनीकी सहायक आदि सप्ताह में एक दिवस **गुरूवार** को सेवा केन्द्र पर जन सामान्य के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें।

3–पंचायत सेक्रेटरी द्वारा इस दिन ग्रामवासियों के साथ बैठक करते हुए ग्राम के विकास कार्यो के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के सुझाव लेकर उन पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4–ग्राम में प्रायः खड़ण्जा नाली निर्माण का कार्य पैमाइश के अभाव में बाधित होता है। सप्ताह में नियत दिवस पर पंचायत सेक्रेटरी तथा लेखपाल के एक साथ ग्राम सभा में उपस्थित रहने पर ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा।

7–प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी/एएनएम केन्द्रों में टाइल्स लगवाने का कार्य–

आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों आंगनबाड़ी/एएनएम केन्द्रों में फर्नीचर की व्यवस्था न होने तथा फर्श के टूटे–फूटे रहने से बच्चों को हो रही असुविधा हेतु फर्श की मरम्मत एवं टाइल्स लगाकर परिवेश को बेहतर बनाया जा सकता है।यह भी कि यद्यपि स्कूलों में चाइल्ड फ्रेन्डली शौचालयों व बेबी फ्रेन्डली शौचालयों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण का पूर्व से अभियान चलाया जा रहा है उसे भी गति प्रदान की जाएगी ताकि शौचालयों के प्रयोग की बचपन से आदत पड़े।

8–निष्प्रयोज्य तथा मरम्मत योग्य भवनों का जीर्णोद्धार एवं सदुपयोग–आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य पड़े सार्वजनिक भवनों को मरम्मत कराकर उन्हें मिड–डे–मील शेड, लाइब्रेरी आदि के रूप में अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोग में लिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उपर्युक्तानुसार निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है–

- ऑपरेशन कायाकल्प का मूल उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्थिति शासकीय भवनों का जीर्णोद्धार कराकर उन्हें जनोपयोगी बनाया जाना है।
- इस कार्य में समस्त प्रकिया विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरुपों ही सम्पादित की जानी है।

- ऑपरेशन कायाकल्प हेतु कोई अतिरिक्त धनांवटन नही किया जाएगा बल्कि इस अवधारणा को मूर्त रुप देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधनों से ही समस्त कार्य सम्पादित कराया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार ऑपरेशन कायाकल्प अभियान के तौर पर कराये जाने हेतु कार्यो को चिन्हित कर ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित कराकर उन पर ग्राम सभा की खुली बैठक में नियमानुसार अनुमोदन दिनांक 15.05.2018 तक प्राप्त किये जाएं तथा तदुपरान्त ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत प्लान अपलोड कराकर 16.05.2018 से अभियान को प्रारम्भ कर 01 माह में पूर्ण कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1–प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–स्टॉफ अधिकारी कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि, उद्यान, पशुधन, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, , पर्यावरण तथा सूचना जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, शासन।
4–आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0।
5–समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
7–समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
8–समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
9–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
10–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
11– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0) उ0प्र0।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।